

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-22/2025-

/स्वा०,

पटना, दिनांक

/

/ 2025

डा० दीपशिखा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बटसार, धेरैया, बाका के द्वारा प्रथम सतान के प्रसव हेतु दिनांक-01.03.2025 से 27.08.2025 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन का उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

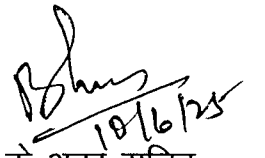
ज्ञापांक-2/एल-22/2025-

1000(2)

पटना, दिनांक 17/6/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (पै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बाका/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धेरैया, बांका/कोषागार पदाधिकारी, बांका/डा० दीपशिखा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बटसार, धेरैया, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव

६